दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-1

{कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख}

सोमवार, 3 अप्रैल, 2000/चैत्र 14, 1922 {शक}

संख्या-32

अप. 2.06 बजे

1. गणपूर्ति {कोरम} के अभाव में सदन 10 मिनट के लिये स्थगित किया गया।

अप. 2.17 बजे

2. सदन पुनः समवेत हुआ । विपक्षी सदस्यों ने देर से कार्यवाही शुरू होने का विरोध किया । स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खराब हुए समय की पूर्ति करने के उद्देश्य से प्रश्न काल का समय 20 मिनट और बढ़ा दिया जाये । अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न काल को बढ़ाने में असहमति व्यक्त की और मुख्य सचेतक को निदेश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर समय गणपूर्ति {कोरम} बना रहे ।

अप. 2.24 बजे

3. डॉ. जगदीश मुखी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़कों से सभी व्यावसायिक वाहनों को हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति का मामला उठाया और उनके तथा उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दी गई विभिन्न सूचनाओं की स्थिति के बारे में जानना चाहा । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और जैसाकि उनसे अनुरोध किया गया है, वे आज ही इस विषय पर चर्चा कराने के लिये तैयार हैं । विरोधी दल के सदस्य इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी व शोर-शराबा करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने प्रश्नकाल को जारी रखने का आदेश दिया ।

अप. 2.35 बजे

4. **प्रश्न**

तारांकित प्रश्न - तारांकित प्रश्न संख्या-142, 144 एवं 145 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके मौखिक उत्तर दिये गये ।

तारांकित प्र.सं. 141, 143 तथा 146 से 160 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अतारांकित प्रश्न : अतारांकित प्र.सं. **424** से 444 तक के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

अप. 2.37 बजे

5. विपक्षी सदस्य तुरन्त चर्चा की मांग करते हुए सभामंडप {वैल} में आ कर बैठ गये तथा शोर-शराबा व नारेबाजी करते रहे ।

अप·2·38 बजे

6· सदन 10 मिनट के लिये स्थगित किया गया ।

अप·2·46 बजे

7· **सदस्यों का निलम्बन**

सदन पुनः समवेत हुआ । शोर-शराबा जारी रहा । भारतीय जनता पार्टी के निम्नलिखित सदस्यों, जो कि सभामंडप में आकर शोर-शराबा करते रहे, को अध्यक्ष द्वारा सदन से बाहर जाने का आदेश दिया गया :-

1· डॉ·जगदीश मुखी
2· श्री हरशरण सिंह बल्ली
3· डॉ·हर्षवर्द्धन
4· श्री राम भज
5· श्री नरेश गौड़
6· श्री साहब सिंह चौहान
7· श्री नन्द किशोर गर्ग
8· श्री जय भगवान अग्रवाल
9· श्री ब्रहम सिंह तंवर
10· श्री पूरन चन्द योगी
11· श्री सुशील चौधरी
12· श्री अविनाश साहनी
13· श्री मोहन सिंह बिष्ट

8· **2·48 बजे** सदन 10 मिनट के लिये स्थगित हुआ ।

9· **3·01 बजे** सदन पुनः समवेत हुआ । अध्यक्ष महोदय ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर दुख व्यक्त किया और सदन को सूचित किया कि उन्हें विशेष पीड़ा इसलिये भी पहुंची है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह कहा था कि उनकी पार्टी कभी भी सभामंडप में नहीं आयेगी और उन्होंने उस बात का सम्मान नहीं किया । उन्होंने उन व्यक्तियों के प्रति नारेबाजी किये जाने पर भी अप्रसन्नता जाहिर की,जो इस सदन के सदस्य नहीं थे।

अप-3-05 बजे

10- **सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात**

श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित पत्रों की प्रति सदन पटल पर रखी :-

§क§ दिल्ली लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त§जांच§ नियम,1999 के संबंध में अधिसूचना संख्या-एफ-9/3/97/ए-आर दिनांक 30-7-1998 की प्रति ।

§ख§ दिल्ली लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त§सेवा शर्तें§ नि6यम,1998 के संबंध में अधिसूचना संख्या-एफ-9/3/97/ए-आर- दिनांक 30-7-98 की प्रति ।

§ग§ दिल्ली पुलिस को लोक शिकायत आयोग की परिधि में लाने के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या-एफ-4/14/94/एआर दिनांक 30-7-98 की प्रति।

अप-3-06 बजे

विशेष उल्लेख

11- निम्नलिखित सदस्यों ने नियम-287 के अंतर्गत मामले उठाये :-

1- श्री ब्रह्म पाल
2- श्री भीष्म शर्मा
3- श्री शादी राम
4- श्री माला राम गंगवाल
5- श्री अमरीश सिंह गौतम
6- श्रीमती किरण वालिया
§अध्यक्ष के निदेश पर ऊर्जा मंत्री ने हस्तक्षेप किया§
7- श्री सुरेन्द्र कुमार
8- श्री मुकेश शर्मा
9- श्री रूप चन्द

अप-3-25 बजे

विधेयकों का पुरःस्थापन

12-§1§श्री महेन्द्र सिंह साथी,वित्त मंत्री ने दिल्ली बिक्री कर§संशोधन§ विधेयक,2000 को पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव किया । अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित भी किया ।

§2§ श्रीमती शीला दीक्षित,मुख्य मंत्री ने महानगर परिषद् दिल्ली के सदस्यों§पेंशन की वृद्धि§ विधेयक,2000 को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर विधेयक को सदन में पुरःस्थापित भी किया ।

अप·3·27 बजे

विधेयक पर विचार एवं पारित करना

13· डॉ·नरेन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि **दिल्ली राजभाषा विधेयक, 2000** पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री मुकेश शर्मा
2· श्री शोएब इकबाल
3· श्री रूप चन्द
4· श्रीमती किरण वालिया

खण्डवार विचार (संशोधन)

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-2 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"क्लॉज-डी जोड़ा जाये" - निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित ।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिनियम में इस बारे में प्रावधान किया जायेगा । उन्होंने सदस्य से अनुरोध किया कि संशोधन को वापस ले लें । सदस्य द्वारा सदन की अनुमति मिलने के बाद संशोधन को वापस ले लिया ।

खण्ड-2, उप-खण्ड-(2) में श्री रूप चन्द ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया-

"सरकार" का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-(2) को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-3 में श्री रमाकान्त गोस्वामी ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"देवनागरी लिपि में हिन्दी ~~समय-समय पर~~ सरकार द्वारा दिल्ली की राजभाषा उस तिथि से होगी जो सरकार शासकीय राजपत्र में उस प्रयोजन हेतु अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री रूप चन्द ने खण्ड-3 के प्रथम परन्तुक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

"बशर्तें कि दिल्ली में अंग्रेजी भाषा उन प्रशासनिक एवं विधायी प्रयोजनों के लिये उपयोग की जाती रहेगी जिनके लिये इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा-3 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रयोग की जाती रही थी,

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री रमा कान्त गोस्वामी ने खण्ड-3 के दूसरे परन्तुक में निम्नलिखित संशोधन दिया :-

"बशर्ते आगे कि विधान सभा में प्रस्तुत कोई विधेयक या पारित अधिनियम अथवा दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश अथवा संसद या विधान सभा द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी आदेश, निमय, विनियम अथवा उपविधि का अनुवाद अथवा सरकारी राजपत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल के प्राधिकार के अंतर्गत प्रकाशित दिल्ली में विस्तारित कोई अन्य राज्य कानून इस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में इसका प्राधिकृत पाठ ~~होगा~~ माना जायेगा ।"

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

खण्ड-3 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्रीमती किरण चौधरी ने खण्ड-4 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-
"गुरुमुखी लिपि में पंजाबी तथा फारसी लिपि में उर्दू दिल्ली की द्वितीय भाषाएं होंगी ।" (बाकी पाठ को समाप्त कर दिया जाये)

खण्ड-4 (2) में निम्नलिखित जोड़ा जाये :-

2· इन द्वितीय भाषाओं का प्रयोग सरकारी विभागों और कार्यालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में सभी शासकीय कार्यों के लिये किया जाये तथा उन प्रयोजनों के लिये जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायें ।"

खण्ड-4 (3) में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया गया :-

3· इस खण्ड के उप-खण्ड (2) के प्रावधानों के बिना किसी पूर्वाग्रह के इन द्वितीय भाषाओं का प्रयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा-

1· सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, नियम, विनियम एवं उप विधियां ।
2· सभी शासकीय वक्तव्यों एवं अधिसूचनाएं
3· सभी शासकीय सूचनाएं, आदेश, घोषणाएं व प्रतिवेदन
4· जनहित में जारी शासकीय विज्ञापन
5· जिला राजपत्रों का प्रकाशन

6 · जनता से प्राप्त प्रार्थना-पत्र, याचिकाएं, पत्र तथा ज्ञापन आदि
7 · जनता से प्राप्त क्लेम और मांग, और
8 · स्कूलों और संस्थानों में भी पढ़ायी जाएं ।

शिक्षा मंत्री ने सदस्य से अनुरोध किया कि वे अपने संशोधन वापस ले लें और सदस्य ने सदन की अनुमति के बाद अपने संशोधन वापस ले लिये ।

खण्ड-4 ॥4॥ में श्री हारून युसुफ ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये :-

"गुरुमुखी लिपि में पंजाबी और उर्दू लिपि में उर्दू निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये दिल्ली की दूसरी राजभाषा होगी :-

क· दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा प्रार्थना-पत्रों और याचिकाओं की प्राप्ति एवं उत्तर उर्दू एवं पंजाबी में देना ।

ख· महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों एवं राजपत्र अधिसूचनाओं का अनुवाद उर्दू एवं पंजाबी में भी किया जायेगा ।

ग· सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों एवं सड़कों आदि में नाम-पट्टिकाएं उर्दू एवं पंजाबी में भी होंगे ।

घ· समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू एवं पंजाबी में भी प्रकाशन

ड· जहां कहीं भी आवश्यक हो विधान सभा की कार्यवाही समान रूप से उर्दू एवं पंजाबी में भी रिकार्ड एवं जारी की जाये ।

श्री हारून युसुफ द्वारा प्रस्तुत संशोधन मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।
खण्ड-4 मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
खण्ड-5 मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

श्री हारून युसुफ ने खण्ड-6 ॥2॥ ॥ए॥ में निम्नलिखित संशोधन दिया :-
"विधेयकों आदि के हिन्दी भाषा के प्राधिकृत पाठ का अंग्रेजी, पंजाबी तथा उर्दू भाषाओं में अनुवाद की रीति ।"

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।
खण्ड-6 को मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्रीमती किरण चौधरी ने उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में भी कुछ संशोधन दिये हैं, लेकिन चूंकि वह विधेयक का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिये उनको अस्वीकार कर दिया गया है ।

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक मतदान के लिये रखे गये और स्वीकार किये गये ।

डॉ॰नरेन्द्र नाथ, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये ।

विधेयक को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से पारित किया गया।

अप॰4॰09 बजे जलपान अवकाश

14॰ 4॰47 बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री परवेज हाशमी, परिवहन मंत्री ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सदन की अनुमति से श्री अजय माकन ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा समुचित संख्या में सी॰एन॰जी॰पम्पिंग स्टेशन उपलब्ध न कराये जाने और केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री द्वारा समय पर सी॰एन॰जी उत्सर्जन नियम निर्धारित न करने और इसमें दो साल से ज्यादा देर करने पर ~~असम्मति~~ अप्रसन्नता व्यक्त करता है ।"

संकल्प को मतदान के लिये रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

अप॰5॰02 बजे

श्री रविन्द्र बंसल ने संकल्प को स्वीकार किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

अप॰5॰03 बजे

15॰ **उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

श्री अजय माकन ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"कि यह सदन उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 22॰3॰2000 को दिये गये उनके अभिभाषण के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है ।"

श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव का समर्थन किया ।

अप॰5॰25 बजे

अल्पकालिक चर्चा

श्र रमाकान्त गोस्वामी ने केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति में परिवर्तन करने और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जा रहे दूध की कीमतों में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा आरम्भ की ।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1॰ श्री रूप चन्द
2॰ श्री शीश पाल
3॰ श्री अमरीश सिंह गौतम
4. श्री भीष्म शर्मा

खाद्य एवं सम्भरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

5॰58 बजे

{सदन मंगलवार, 4 मार्च, 2000 को अप॰2॰00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ ।}

दिल्ली,
3॰4॰2000

एस॰के॰शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART I

(RECORD OF BRIEF PROCEEDINGS)

MONDAY, 3rd APRIL, 2000 / CHAITRA 14, 1922 (SAKA)

No : 32

1. 2.06 PM House adourned for 10 minutes due to lack of quorum.

2. 2.17 PM House re-assembled. Members from the Opposition protested for delayed start of the proceedings. Minister of Health proposed that the question hour be extended by 20 minutes to make up for the loss of time. Chair ruled out extension of question hour and directed the Chief Whips to ensure quorum at all times.

3. 2.24 PM Dr. Jagdish Mukhi raised matter relating to the situation arising out of withdrawl of commercial vehicles from the roads on the orders of Hon'ble Supreme Court and wanted to know the fate of various notices given by him and his partymen. Chair ruled that he had accepted Call Attention Motion given by him and discussion on the same shall be held today itself. On being requested, he also agreed to. The Members of Opposition not satisfied with the ruling resorted to slogan shouting. Chair ordered that question hour be taken up.

4. 2.35 PM QUESTIONS

STARRED : Starred Questions 142, 144 and 145 and supplementaries thereto were orally asked and answers given.

Replies to Starred Questions 141, 143 and 146 to 160 were laid on the Table of the House.

UNSTARRED QUESTIONS :-Replies to Unstarred Questions No. 424 to 444 were laid on the Table of the House.

5. 2.37 PM Members of the Opposition demanding immediate discussion squattered in the well of the House and started shouting slogans.

6. 2.38 PM House adjourned for ten minutes.

Contd....2/-

7. 2.46 PM **SUSPENSION OF MEMBERS**

House re-assembled. Pandemonium continued . The following members of the BJP who were squatting in the well of the House were ordered to go out by Chair :-

1. Dr. Jagdish Mukhi
2. Shri Harsharan Singh Balli
3. Dr. Harsh Vardhan
4. Shri Ram Bhaj
5. Shri Naresh Gaur
6. Shri Sahab Singh Chauhan
7. Shri Nand Kishore Garg
8. Shri Jai Bhagwan Agarwal
9. Shri Brahm Singh Tanwar
10. Shri Puran Chand Yogi
11. Shri Sushil Choudhary
12. Shri Avinash Sahani
13. Shri Mohan Singh Bisht

8. 2.48 PM House adjourned for ten minutes.

9. 3.01 PM House re-assembled. The Chair regretted the behaviour of the Opposition Members and informed the House that he was pained especially because the undertaking given by the BJP Leader that their party Members would never come in the well of the House was not honoured. He disapproved of the slogan shouting in favour or against those who were not Members of the House.

10. 3.05 PM **PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE**

Smt. Shiela Dixit, Chief Minister laid on the Table of the House a copy of the following :-

(a) A copy of the notification No.F.9/3/97/AR dated 30.7.98 regarding Delhi Lokayukta and Upalokayukta (Investigation) Rules,1998.

(b) A copy of the notification No.F.9/3/97/AR dated 30.7.98 regarding Delhi Lokayukta and Upalokayukta(Conditions of service) Rules,1998

(c) Copy of the notification No.F.4/14/94/AR dated 30.7.98 regarding bringing of Delhi Police under the purview of Public Grievances Commission.

11. 3.06 PM **SPECIAL MENTIONS**

The following Members raised issues under Rule 287 :-

1. Shri Brahm Pal
2. Shri Bhisham Sharma
3. Shri Shadi Ram
4. Shri Mala Ram Gangwal
5. Shri Amrish Singh Gautam
6. Shri Surender Kumar
7. Smt. Kiran Walia
   (Minister of Power intervened on the direction of Speaker)
8. Shri Mukesh Sharma
9. Shri Roop Chand

LEGISLATIVE PROPOSALS

12. 3.25 PM **INTRODUCTION OF BILLS**

1. Shri Mahinder Singh Saathi, Minister of Finance, moved for leave to introduce 'The Delhi Sales Tax (Amend) Bill,2000'. The leave having been granted, also introduced the Bill.

2. Smt. Shiela Dixit, Chief Minister, moved for leave to introduce 'The Delhi Members of Metropolitan Council (Enhancement of Pension) Bill,2000'. The leave having been granted, also introduced the Bill.

13. 3.27 PM **CONSIDERATION AND PASSING OF BILL**

Dr. Narendra Nath, Minister of Education, moved that 'The Delhi Official Languages Bill,2000 be taken into consideration. The Motion was put to vote and adopted.

The following Members participated in the debate :-

1. Shri Mukesh Sharma
2. Shri Shoib Iqbal
3. Sh. Roop Chand
4. Smt. Kiran Walia

CLAUSE-WISE CONSIDERATION(AMENDMENTS)

Smt. Kiran Choudhary moved the following amendment in Section(2) :

> "Add Clause (d): prescribed means prescribed by rules made under this Act under Section 4".

Contd....4/-

Minister of Education stated that the amendment was not required as provisions to this effect have been made in the Act and requested the Members to withdraw the amendment. Member withdrew the amendment with the leave of the House.

Shri Roop Chand moved the following amendment in sub-clause (2) of Section 2 :-

"'Govt.' means the Govt. of National Capital Territory of Delhi."

The amendment was put to vote and adopted.

Clause (2) was put to vote and adopted.

Shri Ramakant Goswami moved the following amendment in Clause (3) :-

"Hindi in Devnagari script shall, with effect from such date as the Govt. may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, be the Official Language of Delhi".

The amendment was put to vote and adopted.

Shri Roop Chand amoved the following amendment in First Proviso to Section 3 :-

"provided that English Language may continue to be used for those administrative and legislative purposes in Delhi for which it was being used before the commencement of this Act in consonance with the provisions contained in Section 3 of the Official Languages Act,1963 (19 of 1963)".

The amendment was put to vote and adopted

Shri Ramakant Goswami moved the following amendment to second proviso to Section 3 :-

"Provided further that a translation of any Bill introduced in, or Act passed by the Legislative Assembly or of ordinances promulgated by the Lt. Governor of Delhi or of any order, rule, regulation or bye-law issued under any law made by the Parliament or the Legislative Assembly or any state law extended to Delhi published under the authority of the Lt. Governor of Delhi in Official Gazette, shall be deemed to be the authoritative text thereof in English, Punjabi and Urdu languages under this Act'.

The amendment was put to vote and adopted.

Clause (3) put to vote and adopted.

Contd.....5/-

Smt. Kiran Choudhry moved the following amendment in Clause 4 :

" Punjabi in Gurumukhi script and Urdu in Persian script shall be the second Official Language of Delhi (rest of the contents be deleted").

Add in Section (2) of Clause(4) :

2. The use of these second Official languages in Govt. Deptts and Offices and sub-ordinate Courts [illegible] shall be made for all Official purposes and in such manner as may be prescribed under the rules framed in this behalf by the Govt."

The following amendments were moved in Section (3) of Clause (4) :-

"3. without prejudice to the provisions contained in the sub-section (2) of this Section, the use of these second languages shall be made in respect of the following :

a) all orders, rules, regulations bye-laws issued by the Govt;

b) all Official statements and notifications;

c) all Govt. instructions, orders, announcements and reports;

d) Govt. advertisments of wide public interest;

e) publication of distt gazettes;

f) receipt of applications, petitions letters and memoranda from the public;

g) claims and demands received from public; and

h) should be taught in schools and institutions".

The Minister requested the member to withdraw these amendments and the Member withdrew the amendment with the leave of the House.

Shri Haroon Yusuf moved the following amendments in Section (4) of Clause (4) :-

" Punjabi in gurmukghi script and Urdu in Urdu script shall be the second Official language of Delhi [illegible]

for the following purposes namely :-

a) receipt of reply of applications and petitions by all Offices of the Govt. of NCT of Delhi in Urdu or Punjabi;

b) publication of all translation of important govt. rules, regulations and gazette notifications in Urdu and Punjabi also.

c) signboards of Official buildings, govt. Offices and roads etc. will bear the names in Urdu & Punjabi also;

d) Publication of important Govt. advertisements in the newspapers in Urdu and Punjabi also;

e) Proceedings of Legislative Assembly will be recorded and issued simultaneously in Urdu and Punjabi also wherever required; ".

Clause (4) put to vote and adopted.

Clause(5) put to vote and adopted.

Shri Haroon Yusuf moved the following amendment in Clause 6 (2) (a) :-

" the manner of translation of the authoritative text in Hindi Landguage of Bills etc in English, Punjabi and Urdu Languages".

The amendment was put to vote and adopted.

Clause (6) put to vote and adopted.

The Chair informed the House that Smt. Kiran Choudhry had given certain amendments in the objects and reasons, but since the same do not form part of the Bill and they have been rejected.

Clause (1), Preamble and Title were put to vote and adopted.

Dr. Narendra Nath, Minister of Education moved that the Bill be passed.

The Bill was put to vote and passed by voice vote.

Contd...7/-

4.09 PM TEA BREAK

4. 4.47 PM House re-assembled.

STATEMENT BY MINISTER

Shri Pravez Hashmi, Minister of Transport made a statement about the situation arising out of withdrawl of commercial vehicles from the roads on the orders of Hon'ble Supreme Court.

4.58 PM With the leave of House Shri Ajay Maken thereupon moved the following Resolution :-

"This House expresses its displeasure with the Central Govt. for not being able to provide with requisite number of CNG pumping stations and the Union Surface Transport Minister for not being able to specify the CNG emission norms in time and delaying it by two years".

The Resolution was put to vote and adopted unanimously.

5.02 PM **WALK-OUT BY MEMBER**

Shri Ravinder Bansal staged walk-out of the House protesting against the adoption of the Resolution.

5. 5.03 **MOTION OF THANKS ON LG's ADDRESS**

Shri Ajay Maken moved the following Motion :-

" This House expresses its gratitude to the Hon'ble Lt. Governor for his address he was pleased to deliver to the Assembly on 22.3.2000".

Shri Mangat Ram Singhal seconded the Motion.
Shri Mangat Ram Singhal seconded the Motion.

5.25 PM **SHORT DURATION DISCUSSION**

Shri Ramakant Goswami initiated shourt duration discussion on the situation arising out of change policy by the Central Govt. with regard to public distribution system and hike in milk prices supplied through the Delhi Milk Scheme.

The following Members participated in the discussion :-

1. Shri Roop Chand
2. Shri Shish Pal
3. Shri Amrish Singh Gautam
4. Shri Bhisham Sharma

Minister of Food & Supplies replied to the debate.

5.58 PM (House adjourned till 2.00 PM on Tuesday, 4.4.2000)

S.K. SHARMA
SECRETARY